

प्रपत्र एम एम-14
(देखें नियम 9 (2) (ड))

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री, श्रीआयु लगभग वर्ष,
निवासी ग्राम तहसील पुलिस थाना जिला
..... अपनी जीविका के लिए पारम्परिक रूप से
बालू/मौरम/बजरी/बोल्डर के उत्खनन कार्य में संलग्न है और उसी जिले के निवासी है, जिस जिले
में आवेदित क्षेत्र पड़ता है और सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित
..... जाति के व्यक्ति है।

जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
(जिलाधिकारी/अपरजिलाधिकारी/
उप जिलाधिकारी/तहसीलदार